प्रेस नोट
दिनांक 25.12.2025
जनपद- संतकबीरनगर

थाना महुली पुलिस द्वारा कार्यवाही करते हुए लूट से संबंधित 03 अभियुक्तों को किया गया गिरफ्तार

लूट के मामले का सफल अनावरण करते हुए 01 अदद अवैध तमंचा व कारतुस 315 बोर, लुट का 3000 रुयपा, 01 अदद लुट की बरामद शुदा मोबाइल फोन व 01 मोटरसाइकिल बरामद

दिनाँक 24.12.2025 को वादी श्री सुभाष कुमार पुत्र श्री ओम प्रकाश निवासी खासपुर थाना आलीगंज जिला अम्बेडकर नगर हा०मु० पिकौरा शिव गुलाम महाराजा होटल के पिछे थाना कोतवाली जिला बस्ती से टेम्पू UP51BT6507 से नाथनगर थाना महुली जनपद संतकबीरनगर से जनपद बस्ती की तरफ जा रहा था कि लुतही गाँव थाना महुली जनपद संतकबीरनगर के मोड़ पर तीन अज्ञात व्यक्ति स्पलेंडर प्लस मोटर साईकिल नं0 UP58 AL7334 से आ कर घेर कर रोक लिए एवं असलहा सटाकर गाली गुप्ता देते हुऐ मारने पीटने लगे एवं मेरे जेब में रखा मोबाईल फोन एंव 3000 रुपाये छीन लिऐ तथा जान से मारने कि धमकी देते हुऐ गाँव की तरफ भाग गये। उक्त सूचना के आधार पर थाना महुली पर मु0अ0सं0 493/25 धारा 309(4)/115(2)/352/351(3) बीएनएस का अभियोग पंजीकृत किया गया था।*

पुलिस अधीक्षक जनपद संतकबीरनगर ***श्री संदीप कुमार मीना*** के निर्देशन, अपर पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर ***श्री सुशील कुमार सिंह*** के मार्गदर्शन व क्षेत्राधिकारी धनघटा ***श्री अभयनाथ मिश्रा*** के पर्यवेक्षण में जनपद संतकबीरनगर में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में ***थाना महुली पुलिस*** द्वारा कार्यवाही करते हुए आज दिनाँक 25.12.2025 को उक्त घटना का सफल अनावरण करते हुए लूट में संलिप्त 03 अभियुक्तों को इटौवा प्राथमिक विद्यालय के पास से गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तारी व बरामदगी के 01 मोबाइल फोन रीयल मी व 3000 रु0 नगद घटना में प्रयुक्त 01 अदद मोटरसाईकिल व गिरफ्तार 03 अभियुक्तगण संबंधित मु0अ0सं0 493/25 धारा 309(4)/115(2)/352/351(3) बीएनएस थाना महुली जनपद संतकबीरनगर व अभियुक्तों के पास से अवैध तमंचा व कारतुस बरामद होने के आधार पर बढ़ोत्तरी धारा 317(2), 112 बीएनएस व धारा 3/25 आर्म्स एक्ट की बढोत्तरी की गई है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पताः-
01-दिनेश कुमार पुत्र बालू प्रसाद निवासी जिगिनीया थाना लालगंज जनपद बस्ती।
02-मदन यादव उर्फ शिकुमार पुत्र सुरेन्द्र यादव निवासी सुरसा थाना लालगंज जनपद बस्ती।
03-संजय यादव पुत्र रामभेज निवासी सुरसा थाना लालगंज जनपद बस्ती।

बरामदगी का विवरणः-
01. अवैध तमंचा व कारतुस 315 बोर
02. लुट का 3000 रूपये
03. 01 अदद छिनैती की मोबाइल फोन
04. 01 अदद मोटरसाइकिल

पूछताछ विवरणः-
गिरफ्तार किये गये अभियुक्तो से पूछताछ किया गया तो बताये कि हम लोग दिनांक 24.12.2025 को नशे की हालत में ग्राम लतुही के पास से एक टेम्पु वाले से 3000/- रुपये व उसका मोबाइल फोन छिन लिए थे जो मोबाइल दिनेश के पास से बरामद है, वही 3000/- रुपया व मोबाइल है। हम तीनो लोगो को पकड़ने का प्रयास चालक व राहगीरो के द्वारा किया गया किन्तु हम तीनों लोग मोटरसाईकिल संख्या युपी 58 एएल 7334 मौके देखकर भाग गये। हम लोगों का कोई आय का स्रोत नहीं है हम लोग साथ-साथ संगठित गिरोह के रूप मे आर्थिक व भौतिक लाभ के लिए अपराध करके धन अर्जित कर अपना तथा अपने परिवार का भरण पोषण करते है। इनसे तमंचा रखने के सम्बन्ध में अधिकार पत्र माँगा गया तो कोई भी कागजात दिखाने में असमर्थ रहे।

गिरफ्तार करने वाले अधिकारी / कर्मचारीगणः-
1. उ0नि0 श्री सोमनाथ मिश्रा, उ0नि0 श्री नागेन्द्र सिंह, उ0नि0 श्री अजय कुमार भारती, हे0का0 सम्स तबरेज, का0 अभिषेक सिंह, का0 सुनील कुमार सिंह, का0 अरविन्द यादव।

शान्ति भंग (170/126/135 बीएनएसएस) में 09 अभियुक्त गिरफ्तार

थाना दुधारा पुलिस द्वारा 170/126/135 बीएनएसएस में 04 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।
थाना धनघटा पुलिस द्वारा 170/126/135 बीएनएसएस में 02 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।
थाना मेंहदावल पुलिस द्वारा 170/126/135 बीएनएसएस में 02 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।
थाना बेलहरकला पुलिस द्वारा 170/126/135 बीएनएसएस में 01 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।

मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत 109 वाहनों से 1,19,500 रु0 सम्मन शुल्क वसूल किया गया

आज दिनाँक 25.12.2025 को जनपद संतकबीरनगर के सभी थाना क्षेत्रों में बैंक / वाहन / संदिग्ध व्यक्तियों की चेकिंग के दौरान समस्त प्रभारी निरीक्षक / थानाध्यक्ष / प्रभारी यातायात द्वारा मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत कड़ी कार्यवाही करते हुए 109 वाहनों से 1,19,500 रु0 सम्मन शुल्क वसूल किया गया।

मिशन शक्ति 5.0 अभियान के तहत बेलहरकला पुलिस द्वारा कार्यवाही करते हुए नाबालिग के साथ दुष्कर्म के मामले में वाँछित अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार

पुलिस अधीक्षक जनपद संतकबीरनगर ***श्री संदीप कुमार मीना*** के निर्देशन, अपर पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर ***श्री सुशील कुमार सिंह*** के मार्गदर्शन व क्षेत्राधिकारी मेंहदावल ***श्री सर्वदवन सिंह*** के पर्यवेक्षण में जनपद संतकबीरनगर मे अपराध एवं अपराधियो के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में थाना बेलहरकला पुलिस द्वारा कार्यवाही करते हुए आज दिनाँक 25.12.2025 को थाना बेलहरकला पर पंजीकृत मु0अ0सं0 324/2025 धारा 65(2)m बीएनएस व 5/6 पाक्सो एक्ट से सम्बन्धित अभियुक्त नाम पता पिन्टू उर्फ सहादत अली पुत्र स्व0 सिकन्दर निवासी महुआ थाना बेलहरकला जनपद संतकबीरनगर को नन्दौर चौराहे से गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

विदित हो कि वादी द्वारा दिनाँक 24.12.2025 को थाना बेलहरकला पर उक्त अभियुक्त के विरुद्ध वादी की नाबालिग पुत्री के साथ दुष्कर्म करने के मामले में प्रार्थना पत्र देकर अभियोग पंजीकृत कराया गया था। थाना बेलहरकला पुलिस द्वारा महिला अपराध की संवेदनशीलता को देखते हुए त्वरित कार्यवाही करते हुए उक्त अभियुक्त को आज दिनांक 25.12.2025 को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

पुलिस अभिरक्षा में लेने वाले पुलिस बल का विवरण- प्र0नि0 थाना बेलहरकला श्री अनिल कुमार, उ0नि0 श्री राजेश कुमार दूबे, का0 रविन्द्र निषाद, का0 प्रवीण तिवारी, का0 संतोष चौहान, का0 दीनानाथ, का0 ओमप्रकाश चौरसिया।

पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर के निर्देशन में डायल 112 का संदेश, हर वर्ग तक सुरक्षा का भरोसा

डायल 112 टीम द्वारा कस्बा बखिरा, सांथा व थाना क्षेत्र दुधारा में जन-जागरूकता की बात, जन-जन के साथ जागरुक कर किया गया समापन

पुलिस महानिदेशक यूपी-112 ***श्रीमती नीरा रावत*** के निर्देशन में पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर ***श्री संदीप कुमार मीना*** के मार्गदर्शन, अपर पुलिस अधीक्षक ***श्री सुशील कुमार सिंह*** व क्षेत्राधिकारी डायल 112 ***श्री प्रियम राजशेखर पाण्डेय*** के पर्यवेक्षण में निरीक्षक श्री अमित कुमार शुक्ला मुख्यालय 112 लउनऊ, प्रभारी निरीक्षक डायल 112 श्री राहुल सिंह यादव जनपद संतकबीरनगर व टीम द्वारा कस्बा बखिरा, सांथा चौराहा व थाना क्षेत्र दुधारा में नुक्कड़ नाटक व एलईडी वैन पर प्रदर्शित जागरूकता संदेशों और प्रत्यक्ष संवाद द्वारा लोगों को डायल 112 सेवा से जोड़ने का काम किया गया साथ ही लोगों को उपहार प्रदान कर सम्मानित किया गया।

सुरक्षा को लेकर जागरूकता तभी असरदार होती है, जब जानकारी सीधे लोगों तक पहुंचे और भरोसा मजबूत हो। इसी उद्देश्य के साथ उत्तर प्रदेश पुलिस की आपात सेवा यूपी-112 ने द्वारा जनपद में व्यापक जन-जागरूकता अभियान संचालित किया। "जन-जागरूकता की बात, जन-जन के साथ" थीम पर आयोजित इस अभियान के माध्यम से आम नागरिकों को आपात परिस्थितियों में त्वरित पुलिस सहायता, महिला सुरक्षा और बुजुर्गों के लिए उपलब्ध विशेष सेवाओं की जानकारी दी गई। यह 02 दिवसीय अभियान प्रदेशभर में चलाया जा रहा है।

थाना बखिरा क्षेत्रान्तर्गत कस्बा बखिरा, थाना बेलहरकला अन्तर्गत कस्बा सांथा व थाना दुधारा कस्बा में आयोजित कार्यक्रम के दौरान यूपी-112 की टीम ने नुक्कड़ नाटक और संवादात्मक सत्र के जरिए महिलाओं की सुरक्षा को लेकर जागरूक किया गया। आम नागरिकों, महिलाओं और बुजुर्गों से सीधे संवाद किया तथा उदाहरणों के माध्यम से बताया कि किसी भी आपात स्थिति में 112 पर कॉल करने से पुलिस सहायता किस तरह मौके तक पहुंचती है। एलईडी वैन पर प्रदर्शित जागरूकता संदेशों ने कॉल रिस्पॉन्स सिस्टम और महिला सुरक्षा से जुड़ी सेवाओं को सरल भाषा में समझाया गया तथा महिला सुरक्षा के लिए नाइट एस्कॉर्ट सेवा और सुरक्षित सहायता प्राप्त करने की विधि को सरल भाषा में समझाया गया।

।

मिशन शक्ति 5.0 के तहत जनपदीय पुलिस द्वारा चलाया गया एण्टी रोमियो अभियान

- ***जनपद के समस्त थानों द्वारा 71 स्थानों पर 1722 व्यक्तियों को किया गया चेक ।***
- ***78 शोहदों से माफीनामा भरवाकर हिदायत देते हुए छोड़ा गया ।***
- ***29 शोहदों के विरुद्ध की गयी धारा 126/135/170 BNSS की कार्यवाही ।***
- ***1099 शोहदों के परिजनों को बुलाकर चेतावनी देकर छोड़ा गया ।***

उत्तर प्रदेश शासन द्वारा महिलाओं / बालिकाओं को जागरूक करने हेतु चलाये जा रहे मिशन शक्ति 5.0 अभियान के क्रम में पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर *श्री संदीप कुमार मीना* के निर्देशन में जनपद के समस्त थाना क्षेत्र अंतर्गत महिला बीट पुलिस अधिकारियों द्वारा विभिन्न सार्वजनिक स्थानों पर भ्रमण कर प्राथमिकता के आधार पर महिला / बालिकाओं को जागरुक करने के साथ ही उनके समस्याओं के निस्तारण कराने के संबंध में जागरुक किया गया, साथ ही महिलाओं एवं बालिकाओं को वूमेन पॉवर लाइन-1090, पुलिस आपातकालीन सेवा-112, एम्बुलेंस सेवा-108, चाइल्ड लाइन-1098, स्वास्थ्य सेवा-102, महिला हेल्पलाइन-181, मुख्यमंत्री हेल्पलाइन-1076, साइबर अपराधों के बारें में साइबर हेल्पलाइन-1930 आदि कानूनी प्रावधानों एवं उनके अधिकारों इत्यादि के बारें में चर्चा करते हुए शासन द्वारा चलायी जा रही विभिन्न सरकारी योजनाओं के विषय में जानकारी देते हुए पम्पलेट प्रदान कर जागरूक किया जा रहा है । इस दौरान 01. थाना कोतवाली खलीलाबाद पुलिस की एण्टी रोमियो टीम द्वारा थानाक्षेत्र में 12 स्थानों पर 255 व्यक्तियों को चेक किया गया, 243 शोहदों के परिजनों को बुलाकर चेतावनी देकर छोड़ा, 5 शोहदो के विरुद्ध 126/135/170 BNSS की कार्यवाही की गई तथा 12 शोहदों से माफीनामा भरवाया गया 02. थाना दुधारा पुलिस की एण्टी रोमियो टीम द्वारा थानाक्षेत्र में 03 स्थानों पर 194 व्यक्तियों को चेक किया गया, 70 शोहदों के परिजनों को बुलाकर चेतावनी देकर छोड़ा गया, 04 शोहदो के विरुद्ध 126/135/170 BNSS की कार्यवाही की गई तथा 09 शोहदों से माफीनामा भरवाया गया 03. महिला थाना पुलिस की एण्टी रोमियो टीम द्वारा 06 स्थानों पर 120 व्यक्तियों को चेक किया गया, 70 शोहदों के परिजनों को बुलाकर चेतावनी देकर छोड़ा गया व 08 शोहदों से माफीनामा भरवाया गया 04. थाना धनघटा पुलिस द्वारा थानाक्षेत्र में 15 स्थानों पर 246 व्यक्तियों को चेक किया गया तथा 186 शोहदों के परिजनों को बुलाकर चेतावनी देकर छोड़ा गया, 12 शोहदों से माफीनामा भरवाया गया 05. थाना महुली पुलिस की एण्टी रोमियो टीम द्वारा थानाक्षेत्र में 22 स्थानों पर 317 व्यक्तियों को चेक किया गया, 15 शोहदो के विरुद्ध 126/135/170 BNSS की कार्यवाही की गई व 287 शोहदों के परिजनों को बुलाकर चेतावनी देकर छोड़ा गया तथा 15 शोहदों से माफीनामा भरवाया गया, 06 थाना मेंहदावल पुलिस द्वारा थानाक्षेत्र में 03 स्थानों पर 180 व्यक्तियों को चेक किया गया तथा 70 शोहदों के परिजनों को बुलाकर चेतावनी देकर छोड़ा गया, 05 शोहदों से माफीनामा भरवाया गया 07. थाना बखिरा पुलिस द्वारा थानाक्षेत्र में 05 स्थानों पर 210 व्यक्तियों को चेक किया गया, 40 शोहदों के परिजनों को बुलाकर चेतावनी देकर छोड़ा गया, 04 शोहदो के विरुद्ध 126/135/170 BNSS की कार्यवाही की गई तथा 04 शोहदों से माफीनामा भरवाया गया, 08. थाना बेलहरकला पुलिस द्वारा थानाक्षेत्र में 02 स्थानों पर 145 व्यक्तियों को चेक किया गया, 85 शोहदों के परिजनों को बुलाकर चेतावनी देकर छोड़ा गया, 01 शोहदे के विरुद्ध 126/135/170 BNSS की कार्यवाही की गई तथा 06 शोहदों से माफीनामा भरवाया गया, 09. थाना धर्मसिंहवा पुलिस द्वारा थाना क्षेत्र में 03 स्थानों पर 55 व्यक्तियों को चेक किया गया, 48 शोहदों के परिजनों को बुलाकर चेतावनी देकर छोड़ा गया तथा 07 शोहदों से माफीनामा भरवाया गया ।

मिशन शक्ति 5.0 के तहत जनपदीय पुलिस द्वारा स्टंटबाजी व काली फिल्म वाले चारपहिया वाहनों के विरुद्ध चलाया गया अभियान

- ☐ मिशन शक्ति 5.0 अभियान के तहत जनपद के समस्त थानों द्वारा 65 स्थानों पर 2348 वाहनों को किया गया चेक ।
- ☐ मिशन शक्ति 5.0 अभियान के तहत 125 स्टंटबाजी करने एवं यातायात में बाधा उत्पन्न करने वाले दो पहिया वाहनों के विरुद्ध की गयी कार्यवाही ।
- ☐ मिशन शक्ति 5.0 अभियान के तहत 04 चार पहिया वाहनों से उतरवायी गयी काली फिल्म ।
- ☐ मिशन शक्ति 5.0 अभियान के तहत 01 चारपहिया वाहन से उतरवाया गया हूटर।
- ☐ मिशन शक्ति 5.0 अभियान के तहत 04 चार पहिया वाहनों पर गलत तरीके से लगे नंबर प्लेट पर की गयी कार्यवाही ।
- ☐ मिशन शक्ति 5.0 अभियान के तहत 05 चार पहिया वाहनों पर शासकीय तथा जाति सूचक शब्द लगे होने पर की गयी कार्यवाही ।
- ☐ मिशन शक्ति 5.0 अभियान के तहत 1290 वाहन स्वामियों को दी गयी चेतावनी ।

उत्तर प्रदेश शासन द्वारा संचालित मिशन शक्ति 5.0 अभियान के तहत महिला सुरक्षा, सम्मान एवं स्वावलंबन सुनिश्चित करने व महिलाओं की सुरक्षा तथा सड़क सुरक्षा नियमों के प्रभावी क्रियान्वयन के उद्देश्य से पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर *श्री संदीप कुमार मीना* के निर्देशन में अपर पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर *श्री सुशील कुमार सिंह* के मार्गदर्शन क्षेत्राधिकारी यातायात *श्री प्रियम राजशेखर पाण्डेय* के पर्यवेक्षण में आज दिनाँक 25.12.2025 को जनपद के समस्त थाना व प्रभारी यातायात द्वारा सघन चेकिंग अभियान चलाया गया ।

इस अभियान का मुख्य उद्देश्य न केवल नियमों का पालन सुनिश्चित करना था, बल्कि आमजन में यातायात नियमों एवं महिला सुरक्षा के प्रति जागरूकता भी उत्पन्न करना है । जनपदीय पुलिस द्वारा यह अभियान आगे भी निरंतर जारी रहेगा ताकि नागरिकों में यातायात नियमों के प्रति जागरूकता बढ़े तथा महिलाएं सुरक्षित वातावरण में स्वतंत्र रूप से अपने कार्य कर सकें । इस अभियान का उद्देश्य महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करना, सड़क सुरक्षा नियमों का पालन कराना एवं कानून व्यवस्था को सुदृढ़ बनाना है ।